न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 05/2024 (पुराने वाद संख्या 302/1991)

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/07

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.चौथाराम पुत्र दुर्गाराम के वारिसान 1/1.ताराराम पुत्र चौथाराम 2.लालाराम पुत्र दुर्गाराम के वारिसान 2/1.भुरी बेवा लालाराम 2/2.दानाराम पुत्र लालाराम 2/3.हेमाराम पुत्र लालाराम 2/4.नेमाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.दाना पुत्र रूपाराम के वारिसान 2/1.हेमाराम पुत्र दानाराम 2/2.मांगीलाल पुत्र दानाराम 2/3.केसी पुत्री दानाराम 2/4.कालु पुत्र दानाराम 2/5.बलु पुत्री दानाराम 3.प्रताप पुत्र फौजा 4.थाना पुत्र फौजा जाति भाट निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा 5.दुर्गाराम वल्द खेताराम के वारिसान 5/1.गोगाराम पुत्र दुर्गाराम 5/2.रावताराम पुत्र दुर्गाराम 5/3.लखमाराम पुत्र दुर्गाराम 5/4.पदमाराम पुत्र दुर्गाराम 5/5.भोपाराम पुत्र दुर्गाराम 5/6.धुड़ी देवी बेवा दुर्गाराम जाति रबारी निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी

2.प्रतिवादी संख्या 01

3.श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5

4.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6

5.प्रतिवादी संख्या 3 व 4 एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक 04.09.2024

1. संक्षिप्त में वाद–पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खरीद–शुदा खातेदारी भूमि ग्राम मण्ड़ापुरा वर्तमान राजस्व ग्राम सिन्धियों की ढाणी तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 38 रकबा 91.17 बीघा व खसरा संख्या 39 रकबा 115.18 बीघा कुल रकबा 207.15 बीघा भूमि अवस्थित थी। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि खरीदने के बाद संवत् 2030 तक राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि यथावत रही,तत्पश्चात् संवत् 2024–30 में रि–सेटलमेंट के दौराने मूल खसरा संख्या 38,39 के नए खसरा संख्या 4,7,8,9,10,11,12 रकबा क्रमशः 104.15,13.10, 3.09, 4.19,16.03, 2.06,73.00 व 21.04 बीघा कायम हुए। पुराने जरीब 132X132 फीट तथा रि–सेटलमेंट में जरीब 165 X 165 फीट के हिसाब से वादीगण की भूमि का रकबा 135 बीघा दर्ज होना चाहिए था,परन्तु सेन्टलमेट अधिकारियों की त्रुटि से वादी को कम भूमि की खातेदारी प्रदान होने पर वादीगण द्वारा भू–प्रबंध विभाग में उजरदारी पेश की गई,जिसमें वादीगण को खसरा संख्या 04 में 50 बीघा व खसरा संख्या 12 में 20.07 बीघा भूमि की खातेदारी प्रदान की गई तथा प्रतिवादी संख्या 01 व सेटलमेंट अधिकारियों को अमल–दरामद करने हेतु आदेश दिया गया कि ख़सरा संख्या 04 में बट्टा संख्या 4/1003 व खसरा संख्या 12 में बटटा खसरा संख्या 12/1004 कायम कर वादीगण की खातेदारी में इन्द्राज किया जावें। इसके उपरांत भी प्रतिवादी संख्या 01 व सेटलमेंट अधिकारियों ने वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए गए। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खसरा संख्या 04 व 12 की भूमि को पड़त बताकर वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के हकपूर्वाधकारियों को आंवटित कर दी गई,जबकि आवंटन भूमि पर वादीगण का ही कब्जा–काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है,लेकिन रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि इन्द्राज होने के कारण वादीगण के हक हकूको के साथ कुठराघात हो रहा है। अतः ग्राम मंडापुरा वर्तमान ग्राम सिंधियों की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 04 का रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 12 का 20.07 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी घोषित करवाने व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से राज. पैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता श्री जूंजाराम [illegible] द्वारा प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 की तरफ से वकालतनामा पेश कर प्रतिवादी की तरफ से जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 की तरफ से जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। वादीगण अधिवक्ता को प्रतिदावे का जवाबुल–जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बंद किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनानुसार वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार भीमला पुत्र रतना मेघवाल से मूल खसरा संख्या 38 रकबा 91.17 बीघा व खसरा संख्या 39 रकबा 115.18 बीघा कुल रकबा 207.15 बीघा जरिए विक्रय–पत्र खरीद वादीगण की ओर से की गई थी। उक्त विक्रय पत्र मुताबिक वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज हुई। तत्पश्चात द्वितीय भू–प्रबंध के दौरान नयी जरीब के हिसाब से वादीगण की खातेदारी 133 बीघा दर्ज होनी चाहिए थी,लेकिन वादीगण की खातेदारी कम दर्ज की गई तथा खसरा संख्या 4 में 50 बीघा भूमि सरकारी खाते में खाता संख्या 01 में दर्ज की गई। तत्पश्चात खसरा संख्या 04 की 50 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के हकपूर्वाधिरियों को आवंटित कर दी गई,उस में से आगे रकबा जरिए पंजीकृत दस्तावेज अन्तरित किया गया। यदि भू–प्रबंध प्रकिया के दौरान वादीगण की पूर्व दर्ज रकबा अनुरूप खातेदारी प्रदान की जाती है,तो भी मौके पर 50 बीघा भूमि अधिक थी,क्योकि मौके पर वादीगण की 133 बीघा भूमि पूरी होने के उपरांत भी 50 बीघा भूमि बिना खाता संख्या 01 के नाम हुए मौके पर मौजूद थी,लेकिन रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुई। वादग्रस्त भूमि के संबध एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया,जिसके निर्णय में स्पष्ट हुआ कि वादग्रस्त खसरा संख्या 04 का जमाबंदी रकबा 104.15 बीघा दर्ज है,लेकिन मौके पर 154.15 बीघा है। इस प्रकार मौके पर बिना खसरा नम्बर 50 बीघा भूमि अधिक पाए जाने पर प्रकरण स्वीकार किया जाकर 50 बीघा भूमि खाता संख्या 01 में दर्ज की गई,जिसके खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.6464 हैक्टयर कायम हुई। इस प्रकार मौका एवं रेकर्ड स्थिति एक समान होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के मध्य कोई विवाद नहीं है,लेकिन प्रतिवादी की खातेदारी रकबा 23.10 बीघा बिना किसी आधार के विलोपित किए जाने के कारण प्रतिवादी के हक हकूकों के साथ कुठाराघात हुआ है। अतः प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.6464 हैक्टयर में से 23.10 बीघा भूमि पूर्व प्रविष्टि की भांति यथावत प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/5 के नाम इन्द्राज की जाए।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

4. प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनानुसार ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 04 बिला कब्जा मुमकिन सरकारी भूमि अवस्थित थी,जिसमें से विधिक प्रक्रिया के तहत आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक [illegible] को प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 के वालिद दुर्गाराम का कब्जा काश्त होने के आधार पर खसरा संख्या 04 में से रकबा 26.10 बीघा भूमि आंवटन की थी। उक्त आवंटन के आधार पर दुर्गाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी इन्द्राज हुई तथा वक्त आवंटन से आदि[illegible] दुर्गाराम व उसके बाद उनके वारिसान प्रतिवादी काबिज है। वादीगण की ओर से प्रथम सेटलमेंन्ट के मुताबिक खातेदारी भूमि धोषित करवाने के लिए वादपत्र पेश किया था,जो बाद निर्णय दिनांक 13.10.2007 की पालना में प्रतिवादी की खातेदारी समाप्त करते हुए भूमि वादीगण की खातेदारी में धोषित की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

गई। प्रकरण में विवाद का मुख्य कारण यह रहा कि द्वितीय रोटलमेंट के दौराने वादीगण की पूर्व खातेदारी के मुताबिक खातेदारी 133 बीघा दर्ज होने के बजाय कम दर्ज किए जाने के कारण वादीगण द्वारा भू प्रबंध विभाग में उजरदारी पेश की गई,उक्त उजरदारी स्वीकार करते हुए प्रथम सेन्टलमेंट मुताबिक रकबा दर्ज करने का आदेश दिया गया,लेकिन पालना नहीं हुई। वादीगण द्वारा वाद पेश किए जाने पर पारित निर्णय की पालना में प्रतिवादी दुर्गाराम की आवंटन शुदा कब्जा मालिकाना स्वामित्व की खातेदारी गलत तरीके से वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। वादीगण की ओर से एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर खसरा संख्या 04 की रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति के अनुरूप दुरूस्ती चाहे जाने पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करवाई,जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 04 रकबा 104.15 बीघा का है,जबकि मौके पर ज़मीन 154.15 बीघा है अर्थात 50 बीघा अधिक भूमि बिना खसरा नम्बर दर्ज हुए अवस्थित है,जिसको न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.1.2022 के द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती करते हुए अधिक भूमि 50 बीघा का खाता संख्या 01 में दर्ज करने के आदेश दिए गए,जिसके खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.6464 हैक्टयर कायम हुई। उक्त 50 बीघा भूमि में से ही प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 के हकपूर्वाधिकारी को रकबा 23.10 बीघा व प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 के वालिद दुर्गाराम को 26.10 बीघा आवंटन हुई थी तथा प्रतिवादी का उक्त भूमि पर ही कब्जा–काश्त चला आ रहा है,लेकिन पूर्व में रिकॉर्ड अशुद्व होने के कारण उक्त 50 बीघा का खतौनी में अंकन नहीं होने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुई। जबकि वर्तमान में रिकॉर्ड शुद्विं होने के कारण वादीगण का रिकॉर्ड मुताबिक मौके पर कब्जा–काश्त है तथा प्रतिवादी का भी वक्त आवंटन–शुदा मुताबिक कब्जा –काश्त चला आ रहा है,लेकिन तत्समय रिकॉर्ड अशुद्व के कारण प्रतिवादी की खातेदारी समाप्त कर दी गई है। अतः प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.6464 हैक्टयर में से 26.10 बीघा पूर्व प्रविष्टि की भांति यथावत खातेदारी धोषित की जावें।

5. चूंकि पत्रावली संलग्न दस्तावेजो तथा माननीय न्यायालय के आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वाद कारण वर्ष 1973 से उत्पन्न हुआ है,जिसको लगभग 50 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है,अतः प्रकरण का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन कर माननीय अपीलीय न्यायालयों द्वारा प्रदत निर्णयों का सिंहावलोकन किया जाकर वाद–कारण पर आधारित तनकीयात कायम कर [illegible] किया जाना अति–आवश्यक है ताकि पक्षकारान के साथ विधि की मंशानुसार [illegible] पारित किया जा सकें। चूंकि न्यायिक व्यवस्था में Audi Alteram Partem [illegible] को निर्णय का आधार माना गया है,अतः न्यायालय हाजा का प्रयास है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों के अनुसरण में समेकित विवेचन उपरांत तनकीयात कायम की जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

6. पत्रावली के संलग्न समस्त दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन उपरांत यह स्पष्ट है कि प्रकरण में सर्वप्रथम द्वितीय भू–प्रबंध प्रक्रिया के दौरान वादीगण की खातेदारी के कम अंकन के

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कारण वादीगण के हक–पूर्वाधिकारियों द्वारा भू–प्रबंध विभाग में उजरदारी पेश की गई,जिसमें वादीगण को खसरा संख्या 04 में 50 बीघा व खसरा संख्या 12 में 20.07 बीघा भूमि की खातेदारी प्रदान की गई तथा प्रतिवादी संख्या 01 व सेटलमेंट अधिकारियों को अमल–दरामद करने हेतु आदेश दिया,जिसमें खसरा संख्या 04 में बट्टा संख्या 4/1003 व खसरा संख्या 12 में बट्टा खसरा संख्या 12/1004 दिए जाने के आदेश दिए व इसी अनुसार पट्टा जारी करने का आदेश दिया,फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 व सेटलमेंट अधिकारियों ने वादीगण को खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किए गए। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खसरा संख्या 04 व 12 की भूमि को पड़त बताकर वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 02 से 05 को आंवटित कर दी गई। वादीगण द्वारा उक्त आंवटित भूमि को चुनौती देते हुए वादग्रस्त भूमि को वादीगण की खातेदारी घोषित करवाने हेतु वाद–पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया,जो मुकदमा संख्या 41/86 में दर्ज होकर बाद सुनवाई न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री 22.03.1993 को वादी का वाद साबित नहीं होने पर खारिज किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर वादीगण की ओर से प्रथम अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी, जोधपुर एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर के समक्ष पेश की गई, जो मुकदमा संख्या 17/2005 अनवान चौथाराम के वारिसान ताराराम वगैरा बनाम राजस्थान सरकार व दानाराम के वारिसान् हेमाराम वगैरा पर दर्ज रजिस्टर हुआ तथा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 21.03.2006 के द्वारा अपीलांट (वादीगण) की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.1993 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रति–प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में हस्तगत प्रकरण पुनः मुकदमा संख्या 302/1991 पर दर्ज रजिस्टर हुआ तथा साक्ष्य–सबूतो को रेकर्ड पर लेते हुए प्रकरण न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2007 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 04 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 12 रकबा 20.07 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी घोषित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी मांगीलाल पुत्र दानाराम भाट व गोगाराम पुत्र दुर्गाराम रबारी द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मु. जोधपुर में प्रथम अपील पेश की गई। उक्त अपील बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 12.11.2010 के द्वारा खारिज की गई। माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.11.2010 से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मंण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की गई,जो द्वितिय अपील मुकदमा संख्या 2721/2011 पर दर्ज रजिस्टर हुई,जो बाद सुन[illegible] दिनांक 25.01.2023 के द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व [illegible] (बाड़मेर–जैसलमेर) मु. जोधपुर व न्यायालय हाजा द्वारा [illegible] दिनांक क्रमशः दिनांक 12.11.2010 व 31.10.2007 अपास्त कर,प्रकरण इन निर्देशों के [illegible] प्रति–प्रेषित किया कि अपीलार्थी (प्रतिवादी) का जवाब लिया जाकर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम कर पत्रावली में तथा हस्तगत न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी प्रार्थना–पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए उभय–पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का सामुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

7. हस्तगत प्रकरण में वादीगण के वाद–पत्र एवं प्रतिवादी के प्रतिदावा के कथनानुसार तीन तनकीयात पूर्व में कायम हो रखी थी तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्व अजमेर के निर्णय दिनांक 25.01.2023 में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण में दो अतिरिक्त तनकीयात कायम की जाकर शामिल मिसल की गई,जो निम्नानुसार है:–

1. आया वादी खसरा संख्या 04 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 12 का 20.07 बीघा ग्राम मंडापुरा (वर्तमान सिन्धियों की ढाणी) की जमीन का खातेदार घोषित करने का अधिकारी हैं ?

(जिम्मे वादी)

2. आया वादी इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है,कि खेत खसरा संख्या 04 व 12 रकबा क्रमशः 50 व 20.07 बीघा मौजा मंडापुरा (सिन्धियों की ढाणी) के कब्जा व काश्त में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे ?

(जिम्मे वादी)

3. अन्य दादरसी।

4. आया प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 की खरीदशुदा भूमि खसरा संख्या 1005/4 रकबा 51 बीघा में से 08.16 बीघा व खसरा संख्या 1008/04 रकबा 14.14 बीघा कुल रकबा —— 23.10 बीघा —कम कर वर्तमान खसरा संख्या 1810/04 क्षेत्रफल 12.6464 हैक्टयर किस्म बा.दो. ग्राम सिन्धियों की ढाणी,पटवार हल्का पचपदरा में दर्ज करने से रकबा 23.10 बीघा भूमि घोषित करवाने का अधिकारी हैं ?

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5)

5. आया प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 05 खसरा संख्या 1007/4 रकबा 26.10 बीघा का मूल खातेदार होने के उपरांत आदेश दिनांक 13.10.2007 की पालना में प्रविष्टि के आधार पर खातेदारी खत्म कर वर्तमान खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.6464 हैक्टयर में दर्ज करने से पुनःखातेदारी प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 घोषित करवाने के अधिकारी हैं ?

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6)

8. प्रकरण में वादी पक्ष द्वारा वाद–पत्र के समर्थन में वादी साक्ष्य में पूर्व में PW-01 चैनाराम, PW-02 मुबेखां PW-03 लाला, PW-04 आदम खां उ[illegible] की गवाही करवाई गई थी तथा वर्तमान प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर होने पर PW-03 [illegible] के बयानात कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–[illegible] जमाबंदी संवत 2027–2030,प्रदर्श–2 निर्णय राजस्व वाद संख्या 399/1973 की प्रति,प्रदर्श[illegible] नोटिस 80 सी.पी.सी.,प्रदर्श–4 व 5–प्राप्ति रसीदें,प्रदर्श–6 जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संवत 2039 से 2042,प्रदर्श–7 खसरा बंदोबस्त संवत 2025,प्रदर्श–8ए पटटा बापी दिनांक 31.10.1952,प्रदर्श–9ए लेख्य–पत्र वादग्रस्त भूमि मूल खसरा संख्या 38 व 39 बेचान प्रति,प्रदर्श–9बी लेख्य–पत्र हक बेचान बापी रूपयें–300/–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रति, प्रदर्श–10 नामान्तकरण संख्या 7 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श–11ए राजस्व विभाग राजस्थान द्वारा जारी वादग्रस्त भूमि की पास–बुक प्रति,प्रदर्श–12 से प्रदर्श–15 वादग्रस्त भूमि की खतौनी संवत 2025 प्रदर्शित करवाए गए।

9. प्रतिवादी पक्ष ने अपने प्रतिदावा के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से DW-01 मांगीलाल DW-02 हेमाराम व DW-03 भंवरलाल के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1A जमाबंदी खाता संख्या 01 खसरा संख्या 1824/04 की प्रमाणित प्रति व प्रदर्श–02 में नक्शा ट्रेस प्रति प्रदर्शित करवाई गए।

10. अपने प्रतिदावा के समर्थन में प्रतिवादी पक्ष संख्या 5/1 से 5/6 की ओर से साक्ष्य गवाहान् में DW-04 गोगाराम के बयानात् कलमबद्ध करवाई गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–ए 3 दुर्गाराम पुत्र खेताराम को खसरा संख्या 04 में 26.10 बीघा आंवटन की भूमि आदेश की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श– ए 4 आंवटन होने के बाद दुर्गाराम के नाम भरा गया नामान्तकरण प्रति, प्रदर्श–ए 5 दुर्गाराम के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी बाबत् भरा गया नामान्तकरण संख्या 311 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श–ए 6 दुर्गाराम के फोत होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी के नाम भरा गया नामान्तकरण संख्या 987 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श–ए 7 जमाबंदी संवत् 2063–2066 की प्रति,प्रदर्श–ए 8 जमाबंदी संवत् 2037–2041 की प्रति,प्रदर्श–ए 9 जमाबंदी संवत् 2047–2050 की प्रति,प्रदर्श– ए 10 नामान्तकरण संख्या 1071 की प्रति,प्रदर्श–ए 11 व 12 नामान्तकरण संख्या 187 व 183 की प्रमाणित व प्रदर्श–ए 13 जमाबंदी संवत 2079–2082 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

11. हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वक्त बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की खरीद–शुदा भूमि ग्राम मंड़ापुरा (वर्तमान राजस्व ग्राम सिंधियों की ढाणी) की मूल खसरा संख्या 38 रकबा 91.17 बीघा व खसरा संख्या 39 रकबा 115.18 बीघा कुल रकबा 207.15 बीघा अवस्थित थी, उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण ने हक–पूर्वाधिकारी चौथा व लाला पिसरान दुर्गाराम द्वारा तत्कालीन खातेदार भीमला पुत्र रतना कौम मेघवाल से जरिए रजिस्ट्रर्ड बेचान–पत्र दिनांक 11.09.1959 को खरीद की थी, उक्त बेचान–पत्र के अनुरूप ही वादीगण के नाम नामान्तकरण पारित हुआ। वक्त खरीद से वादीगण का कब्जा –काश्त चला आ रहा था। रि–सेटलमेंट संवत् 2024–30 के दौराने वादीगण की मूल खसरा संख्या 38 व 39 से नयें खसरा संख्या 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, व 18 कायम हुए तथा वादीगण का रकबा 207.15 बीघा जरीब 165 X 165 फीट होने के कारण रकबा 135 बीघा खातेदारी इन्द्रा[illegible] चाहिए थी,लेकिन खातेदारी कम प्रदान किए जाने के कारण वादी[illegible] समक्ष उजरदारी पेश किए जाने पर आदेश दिनांक 30.11.1973 के [illegible] संख्या 04 व 12 के बट्टा संख्या खसरा संख्या 04/1003 रकबा 50 बीघा व खसरा [illegible] 12/1004 रकबा 20.07 बीघा भूमि खातेदारी प्रदान की गई,लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व सेटलमेंट अधिकारीयों ने वादी के पक्ष में नामान्तकरण पारित नहीं करवाया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने खसरा संख्या 04 व 12 को पड़त बताते हुए सिवायचक भूमि दर्ज कर,बाद में प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हक–पूर्वाधिकारीयों को आवंटन कर दी गई,जबकि आवंटन भूमि पर वादीगण का ही कब्जा–काश्त हैं। इस कारण वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा के लिए वाद पेश किया गया। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 22.03.1993 को वादी का वाद खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन अपील प्राधिकारी बाड़मेर–जैसलमेर में प्रथम अपील पेश की गई, जो वाद सुनवाई निर्णय दिनांक 21.3.2006 के द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए रिमाण्ड किया। माननीय न्यायालय श्री में प्रकरण पुनः सुनवाई में दर्ज रजिस्टर होकर साक्ष्य गवाही करवाई गई तथा न्यायालय श्री के निर्णय दिनांक 31.10.2007 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 04 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 12 रकबा 20.07 बीघा भूमि की वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय श्री के निर्णय पालना से वादीगण की मूल रकबा के समान् भूमि प्राप्त हो गई। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होने पर प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रथम अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मु. जोधपुर में प्रस्तुत की गई,जो बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 12.11.2010 के अपील खारिज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मंण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर बाद सुनवाई प्रकरण न्यायालय श्री को पुनः सुनवाई के लिए रिमाण्ड हुआ। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की रेकर्ड व मौका–स्थिति भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण सांवलाराम वगैरा द्वारा तरमीम दुरस्ती करवाने बाबत् आवेदन–पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया। माननीय न्यायालय श्री के आदेश दिनांक 27.01.2022 द्वारा वादग्रस्त आराजी की रेकर्ड व नक्शा दुरस्ती आदेश पारित हुआ,तब वादीगण को ज्ञात हुआ कि वादीगण की राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) के मुताबिक मौके पर जमीन पूरी हैं तथा 50 बीघा भूमि अधिक हैं,जो कि प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के हक–पूर्वाधिकारी की हैं,जबकि तत्समय 50 बीधा अधिक भूमि का राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं होने के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हुई,ज़बकि तत्समय रेकर्ड एवं मौका अनुसार रिकॉर्ड संधारित होता तो पक्षकार के मध्य विवाद पैदा ही नहीं होता,लेकिन रिकॉर्ड संधारण व अद्यतन के अभाव के कारण विवाद लम्बे समय तक चलता रहा। अब पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है,क्योकि वादीगण को अपनी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है,जो मौके पर 50 बीधा अधिक भूमि है,ज़िसमें प्रतिवादी के हक–हकूक निहित है। अतः में निवेदन किया किया कि वर्तमान रेकर्ड मुताबिक वादीगण की खातेदारी को यथावत रखते हुए खस[illegible] 0/4 रकबा 12.6464 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 05 के [illegible] खातेदारी घोषित की जाती हैं,तो वादीगण को आपति नहीं है।

12.प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 के अधिवक्ता की वक्त[illegible]स निवेदन किया कि वादीगण की मूल खसरा संख्या 38 व 39 कुल रकबा 207.15 बीघा भूमि आई हुई थी,जो वादी द्वारा तत्कालीन खातेदार भीमला पुत्र रतना से जरिए रजिस्ट्री खरीद की थी। रि–सेटलमेंट के समय पुराने रकबा 207.15 बीघा के स्थान पर नये रकबा अनुसार 133 बीघा के स्थान पर 50

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

बीघा भूमि कम दर्ज करते हुए खाता संख्या 01 में दायर की गई,तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के हक–पूर्वाधिकारीयों को आंवटित की गई। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों की भूल से वादी का रकबा कम दर्ज किया गया, जबकि वास्तव में वादी का सम्पूर्ण रकबा दर्ज होने के उपरांत भी 50 बीघा भूमि मौके पर अधिक थी,जो खाता संख्या 01 में दर्ज की गई और खाता संख्या 01 में से ही प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के हक–पूर्वाधिकारीयों को जमीन आवंटन हुई थी,लेकिन रेकर्ड में भिन्नता की वजह से प्रतिवादी की खातेदारी समाप्त की गई। तत्पश्चात् मूल खसरा संख्या 04 की मौका–जांच होने पर स्थिति स्पष्ट हो गई कि मौके पर 50 बीघा भूमि अवस्थित हैं, लेकिन खाता संख्या 01 में अकंन नहीं हैं,जो तरमीम दुरस्ती का प्रकरण स्वीकार कर 50 बीघा भूमि को खाता संख्या 01 में इन्द्राज करते हुए खसरा संख्या 04 में रकबा दर्ज करने का आदेश दिया गया,जिसमें वर्तमान खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.06464 हैक्टयर अवस्थित हैं। प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान का उक्त रकबे में से 23.10 बीघा भूमि पर कब्जा –काश्त हैं। शेष रकबा 26.10 काश्त बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 का आवंटन मुताबिक कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। अंत में निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि को यथावत रखते हुए खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.6464 हैक्टयर भूमि में से 23.10 बीघा भूमि का पूर्व में हुए आवंटन के आधार पर किए गए पंजीकृत बेचाननामा के माफिक प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 की खातेदारी घोषित की जावें।

13. प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 अधिवक्ता की बहस है कि ग्राम मंण्डापुरा वर्तमान राजस्व ग्राम सिन्धियों की ढाणी की खसरा संख्या 04 बिला कब्जा मुमकिन सरकारी भूमि में से प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 के वालिद दुर्गाराम पुत्र खेताराम का कब्जा –काश्त होने के आधार पर आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 24.01.1979 का रकबा 26.10 बीघा भूमि आवंटन की गई। वक्त आवंटन से आंदिनांक प्रतिवादी का कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। प्रतिवादी दुर्गाराम के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण उनके वारिसान के नाम पारित किया गया, किन्तु वादी की ओर से वाद–पत्र में गलत इस्तदुआ के आधार पर प्रतिवादी की खातेदारी समाप्त कर वादीगण के नाम दर्ज इन्द्राज की गई,जबकि वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में तरमीम दुरस्ती का आवेदन न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया। जिसमें स्पष्ट हुआ कि खसरा संख्या 04 का रकबा 104.15 बीघा है,जबकि मौके पर 154.15 बीघा भूमि है,जो मौके पर 50 बीघा अधिक है,जिसकी रेकर्ड दुरस्ती करते हुए अधिक रकबा 50 बीघा खाता संख्या 01 में दर्ज किया गया,जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1814/04 कायम हुए। प्रतिवादी का उक्त खसरान् में 26.10 बीघा भूमि पर कब्जा–काश्त है। वादीगण [illegible] री हो रखी हैं। वादीगण की भूमि में प्रतिवादी का कोई कब्जा [illegible] रिकॉर्ड में असमानता का पता नहीं होने के कारण पक्षकार के मध्य विवाद की स्थि[illegible] हुई,जबकि वादीगण की खातेदारी द्वितीय सेन्टलमेंट के समय कम करते हुए खातेदारी [illegible]र्ज करने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुई थी,यदि तत्समय भी वादीगण की खातेदारी पूरी दर्ज की जाती,तो भी मौके पर 50 बीघा भूमि अधिक थी,उक्त 50 बीघा भूमि में से ही प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के हक–पूर्वाधिकारियों को नियमानुसार भूमि आवंटन हुई थी,लेकिन उक्त 50 बीघा का रिकॉर्ड

सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

संधारण नहीं होने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई,चूंकि वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्ड दुरूस्ती होने के कारण प्रतिवादी का वादीगण से विवाद नहीं है। अपनी बहस को जारी रखते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी की रिकॉर्ड अशुद्व होने के कारण गलत तरीके से खातेदारी समाप्त की गई थी,जबकि प्रतिवादी वक्त आंवटन से आदिनांक मौके पर काबिज है। इस कारण प्रतिवादी अपनी पूर्व खातेदारी की प्रविष्टि को बहाल करवानें का हकदार है,जो कि प्रतिवादी द्वारा अपनी ओर से साक्ष्य एवं दस्तावेजो से साबित किया है। अंत में निवेदन किया कि खसरा संख्या 1814/04 रकबा 12.6464 हैक्टयर भूमि में से 26.10 बीघा भूमि प्रतिवादी की खातेदारी घोषित की जावें।

14. हमनें दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा बहस पर मनन् किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात्, बयानात् एवं हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का ससम्मान् अवालोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया तथा सुसंगत प्रावधानो पर गौर किया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण प्रकरण में कायम तनकीवार किया जा रहा हैं:–

तनकी संख्या 01:–आया वादी खसरा संख्या 04 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 12 रकबा 20.07 बीघा मौजा मंडापुरा (वर्तमान सिन्धियों की ढ़ाणी) की जमीन का खातेदार घोषित करने का अधिकारी हैं ?

(जिम्मे वादीगण)

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पक्ष पर हैं। वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य गवाहान् में PW-01 से PW-05 गवाह के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 से प्रदर्श–15 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। प्रदर्श–01 अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के हकपूर्वाधिकारी लाला,चौथा पिसरान दुर्गा कौम भांबी की मूल खसरा संख्या 38 व 39 कुल रकबा 207.15 बीघा भूमि खातेदारी में अवस्थित थी। उक्त विवादित आराजी के हक–पूर्वाधिकारीयों द्वारा तत्कालीन खातेदार भीमला पुत्र रतना कौम भांबी निवासी पचपदरा से जरिए रजिस्ट्री बेचान–पत्र के खरीद की गई थी,जो कि प्रदर्श 9 A व B के अवलोकन से स्पष्ट हैं। उक्त बेचान–नामे के आधार पर खरीददार लाला,चौथा पिसरान् दुर्गा के नाम खातेदारी इन्द्राज हुई,जो प्रदर्श–10 नामान्तकरण संख्या 28 के अवलोकन से स्पष्ट हैं। वक्त द्वितीय भू–प्रबंध प्रकिया के सेन्टलमेंट अधिकारियों द्वारा मूल खसरा संख्या 38 व 39 के नए खसरा संख्या 4,7,8,9,10,11 व 12 एवं 18 कायम किए गए तथा जरीब 165 X 165 कदम होने के कारण मूल रकबा 207.15 बीघा के स्थान पर रकबा 135 बीघा दायर करने के बजाय कम इन्द्राज किया तथा शेष भूमि खसरा संख्या 4 व 12 सिवायचक इन्द्राज की गई,जो कि प्रदर्श–02 के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार वादीगण को मूल रकबा से कम भूमि दर्ज किए जाने पर वादी पक्ष द्वारा सहायक भू–प्रबंध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर के समक्ष उजर–दारी पेश की गई जो मुकदमा संख्या 399/1973 पर दर्ज होकर बाद सुनवाई आदेश दिनांक 30.11.1973 के द्वारा खसरा संख्या 04 व 12 में प्रार्थी (वादी) का कब्जा–काश्त माना गया तथा खसरा संख्या 4/1003 रकबा 50 बीघा व खसरा संख्या 12/1004 रकबा 20.07 बीघा भूमि वादी की बहैसियत गैर खातेदार अंकित करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश दिए गए। इसके उपरांत भी वादी की खातेदारी में इन्द्राज नहीं किए जाने के कारण वादीगण ने हस्तगत वाद खातेदारी घोषणा के लिए प्रस्तुत किया। प्रदर्श–06 अवालोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 04 में से प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के हक–पूर्वाधिकारियों को भूमि आवंटन थी। प्रतिवादीगण को आवंटित भूमि अपनी खातेदारी में होना का अंदेशा होने के आधार पर वादी की ओर से वाद लाया गया था,जबकि पत्रावली के संलग्न राजस्व आवेदन संख्या 338/2021 अनवान् सांवलाराम बनाम राजस्थान सरकार वगैरा आदेश दिनांक 27.01.2022 की छायाप्रति अवलोकन करने पर पाया कि खसरा संख्या 04 रकबा 104.15 बीधा का है,जबकि मौके पर जमीन 154.15 बीधा है अर्थात 50 बीधा अधिक भूमि बिना खसरान नम्बर दर्ज हुए अवस्थित है,जिसको न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.1.2022 के द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती करते हुए अधिक भूमि 50 बीधा का खाता संख्या 01 में दर्ज करने के आदेश दिए गए,जिसके खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.6464 हैक्टयर कायम हुई। उक्त 50 बीघा भूमि में से ही प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 के हकपूर्वाधिकारी को रकबा 23.10 बीघा व प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 के वालिद दुर्गाराम को 26.10 बीधा आवंटन हुई थी,लेकिन पूर्व में रिकॉर्ड अशुद्व होने के कारण उक्त 50 बीधा का खतौनी में अंकन नहीं होने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुई। वर्तमान में रिकॉर्ड शुद्धि होने के कारण वादीगण का रिकॉर्ड मुताबिक मौके पर कब्जा–काश्त है तथा प्रतिवादी का भी वक्त आवंटन–शुदा मुताबिक कब्जा–काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार यह भली–भांति स्पष्ट है कि विवादित आराजी का मुख्य विवाद बिन्दु मौका –स्थिति के अनुरूप रेकर्ड (जमाबंदी) नहीं होने के कारण पक्षकार के मध्य इतने वर्षो तक विवाद चला,जबकि रिकॉर्ड दुरस्ती होने से वादी का रेकर्ड एवं मौका स्थिति एक समान हो गई। जिसे वादी पक्ष PW-05 ताराराम ने अपने बयानात मय जिरह में स्वीकार किया है कि मूल खसरा संख्या 04 में 50 बीघा भूमि वादीगण के नाम दर्ज करने के बाद शेष खाता संख्या 01 मे 50 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 व 05 के वारिसान का कब्जा–काश्त हैं तथा खसरा संख्या 01 के वर्तमान तरमीम खसरा संख्या 1810/04 रकाब 12.6464 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान का 23.10 बीघा व प्रतिवादी संख्या 05 के वारिसान का 26.10 बीघा भूमि पर काबिज हैं। यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर वादीगण व प्रतिवादी के बीच वक्त वाद प्रस्तुतीकरण मौके पर भूमि अवस्थित थी,किन्तु जमाबंदी में खाता संख्या 01 सरकारी भूमि के रूप में दर्ज नहीं होने से विवाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट हो चुका है कि मूल खसरा संख्या 04 रकबा 104.15 बीघा के स्थान पर मौके पर 154.15 बीघा भूमि अवस्थित थी तथा द्वितीय–सेटलमेंट के समय पैमाईश करते हुए रेकर्ड इन्द्राज की कार्यवाही की जाती,तो यह विवाद की स्थिति पैदा ही नहीं होती, क्योंकि वादी का खसरा संख्या 04 का रकबा 104.15 बीघा भूमि पर हक था तथा शेष भूमि 50 बीघा राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी,लेकिन खाता संख्या 01 में दर्ज नहीं होने के कारण विवाद की स्थिति बनी। वादी पक्ष के बयानात् से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 02 व 05 के हक–पूर्वाधिकारियों को उक्त सरकारी खाते में ही भूमि आवंटन हुई थी,लेकिन रेकर्ड संधारित नहीं होने के कारण इतने वर्षो तक विवाद चलता रहा। चूंकि भू–प्रबंध प्रकिया के दौरान गत बंदोबस्त के मुताबिक द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों को वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्ड रिपीट किया जाना चाहिए था,लेकिन द्वितीय सेटलमेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में कम दर्ज किए जाने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुई,जबकि ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था। इस बिन्दु पर माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न अनुकरणीय न्यायिक निर्णय प्रदत किये हैं,जैसा कि–R.R.T..2001(1) Bishan singh V/s. Magan Singh & anr में प्रतिपादित है–कि यह सर्वविदित विधि का सिद्धान्त है कि सेटलमेंन्ट के दौरान भू–प्रबंध अधिकारी को पूर्व प्रविष्टियों को जैसी है,वैसी ही राजस्व रेकर्ड में अंकित करनी होगी। अगर किसी पक्ष को कोई आपति है,तो सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवा सकता है।

इसी प्रकार 2003 (1) R.R.T. Page 31 Mahendra Singh V/s. Gopal & anr में प्रतिपादित है– राजस्थान भू राजस्व संहिता,1956 धारा–135 नामान्तकरण–निगरानी–सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा धारा 48,राज.काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते–उतराधिकार,रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज अथवा न्यायालय के आदेश पर वह प्रविष्टिया परिवर्तित कर सकता है–सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश बिना अधिकारिता के है तथा अपर कलक्टर ने आदेश सही अपास्त किया है–सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2001(1) R.R.T. Page 244 (HC)Indan V/s. State of Rajasthan & anr में प्रतिपादित है–कि सेटलमेंट–सेंटलमेंट ऑपरेशन–भूमि की किस्म,कृषको के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां परिवर्तित करने का सैटलमेंट विभाग को अधिकार नहीं है।

2003 (2)R.R.T.1027 (Board of Revenue)State of Rajasthan V/s. Khet Singh & Ors. में प्रतिपादित है–कि बन्दोबस्त प्राधिकारियों को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना विद्यमान प्रविष्टियों को बदलनें की शक्तियां नहीं हैं।

2007(1)R.R.T. पृष्ठ 27 में प्रतिपादित है–कि बंदोबस्त विभाग ने नामान्तकरण स्वीकृत किया,यद्यपि प्रविष्टियों को बदलने का विभाग को अधिकार नहीं है।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर 1–अपील डिक्री/टी.ए./2847 / 2015/ दौसा व 2–अपील डिक्री/टी.ए./2848/2015/दौसा निर्णय दिनांक 04.10.2021 में प्रतिपादित किया है–कि भू प्रबंध विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं हैं,केवल पुराने रेकार्ड को दोहराने का अधिकार प्राप्त है।

2020(1) R.R.T पृष्ठ 37 में प्रतिपादित है–कि भू प्रबंध विभाग इन्द्राज परिवर्तन करने हेतु सक्षम नहीं है।

2018(1) R.R.T पृष्ठ 37 व 2015(2) R.R.T पृष्ठ 1219 में प्रतिपादित है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा कारित त्रुटि को विचारण न्यायालय ने सही किया–भू प्रबंध विभाग प्रविष्टयों को दोहराने हेतु बाध्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

2008(1) R.R.T पृष्ठ 151 में भी प्रतिपादित किया है–कि बन्दोबस्त विभाग को विद्यमान अंकन को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त वर्णित माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट साबित होता है,कि गत सेटलमेंट के रेकर्ड अनुसार ही द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारियों को रेकॉर्ड का इन्द्राज किया जाना चाहिए था,लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि गत सेटलमेंट के अनुसार द्वितीय भू-प्रबंध के समय बिना किसी सक्षम आदेश/निर्णय/स्वीकृति के वादीगण की खातेदारी कम करते हुए रेकॉर्ड इन्द्राज कर दिया गया। जिसका तत्समय द्वितीय भू प्रंबध विभाग को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। ऐसा इन्द्राज करने से पूर्व सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी का आदेश/निर्णय प्राप्त करना आवश्यक था,जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भू-प्रबंध की गलती के कारण पक्षकार के मध्य इतने वर्षो तक विवाद की स्थिति बनी रही,जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एंव माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के अधिमतों अनुसार किसी भी खातेदारों के हकों/अधिकारों में न तो भू प्रबंध विभाग द्वारा कमी जा सकती है और न ही जोड़ा ही जाता है। भू प्रबंध विभाग की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है,जिसके तहत मात्र पूर्व प्रविष्टि को नये नाप को दोहराना भर होता है,लेकिन तत्समय के भूल के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद रहा। चूंकि हस्तगत प्रकरण में राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्ड शुद्धि होने के कारण वादीगण की खातेदारी रकबा पूर्ण होने के उपरांत अधिक रकबा 50 बीघा खाता संख्या 01 में कायम हो चुका है तथा वादीगण की खातेदारी भूमि पूर्ण हो चुकी है,जो कि वादीगण की ओर से अपनी साक्ष्य गवाही के साथ राजस्व अभिलेख दस्तावेजात से प्रमाणित किया है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण वर्तमान रेकर्ड (जमाबंदी) मुताबिक खातेदारी यथावत रखने का हकदार हैं,जो कि वादीगण ने अपने कथनों व साक्ष्यों से साबित भी किया हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 02</u> :—आया वादी इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है कि खेत खसरा संख्या 04 व 12 रकबा क्रमशः 50 व 20.07 बीघा मौजा मंडापुरा (वर्तमान सिन्धियों की ढ़ाणी) के कब्जा व काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे ?

(जिम्मे वादी)

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पक्ष पर हैं। चूंकि तनकी संख्या 01 के द्वारा वादीगण वर्तमान राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) मुताबिक खातेदारी यथावत रखने के हकदार बने हैं,लेकिन पक्षकार के मध्य कब्जा-काश्त को लेकर कोई वाद-विवाद हो। यह वादी पक्ष साबित नहीं कर पाया हैं,तथा वादी पक्ष गवाह PW-05 तारूराम ने जिरह में स्वीकार किया है कि वादीगण व प्रतिवादी अपने-अपने हिस्से के रकबे की भूमि प[illegible] तथा मौके पर कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं हैं। इस प्रकार [illegible] है कि मौके पर [illegible] को लेकर कोई वाद-विवाद नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना औचत्यहीन एवं अप्रासंगिक हैं, अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णी[illegible] की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 04 :—आया प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 की खरीदशुदा भूमि खसरा संख्या 1005/4 रकबा 51 बीघा में से 08.16 बीघा व खसरा संख्या 1008/04 रकबा 14.14

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बीघा कुल रकबा 23.10 बीघा कम कर वर्तमान खसरा संख्या 1810/04 क्षेत्रफल 12.6464 हैक्टयर किस्म बा.दो. ग्राम सिन्धियों की ढाणी,पटवार हल्का पचपदरा में दर्ज करने से रकबा 23.10 बीघा भूमि घोषित करवाने का अधिकारी हैं ?

(जिम्मे –प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5)

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 पर हैं। अपनी साक्ष्य गवाही में DW-01 मांगीलाल, DW-02 हेमाराम व DW-03 भंवरलाल के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 A जमाबंदी खाता संख्या 01 खसरा संख्या 1824/04 की प्रमाणित प्रति व प्रदर्श.02 B नक्शा ट्रेस प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए। हस्तगत प्रकरण में यह भली–भांति स्पष्ट है कि गत सेटलमेंट के रिकॉर्ड का द्वितीय–सेटलमेंट के दौराने विवादित आराजी का राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में रकबा कम दर्ज करने से विवाद की स्थिति पैदा हुई,क्योंकि रि–सेटलमेंट अधिकारियों को वादीगण की खातेदारी भूमि 207.15 बीघा – का नई जरीब 165 X 165 फीट के हिसाब से 135 बीघा– रकबा कायम किया जाना था,जबकि इसके विपरीत वादीगण की खातेदारी भूमि का रकबा कम दर्ज करते हुए शेष भूमि सिवाय–चक दर्ज कर दी गई। सिवाय चक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के हक–पूर्वाधिकारियों को भूमि आवंटन हुई थी,जबकि मौके पर वादी का खसरा संख्या 04 रकबा 104.15 बीघा पूरा करने के बाद भी 50 बीघा भूमि शेष रहती हैं,जो कि खाता संख्या 01 में तत्समय दर्ज की जानी चाहिए थी,उक्त भूमि से ही प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारियों को भूमि आवंटन हुई थी,लेकिन उक्त कार्यवाही नहीं होने के कारण इतने वर्षो तक पक्षकरान् के मध्य विवाद चलता रहा। चूंकि वादग्रस्त आराजी से संबधित राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्ड शुद्वि होने के कारण वादीगण की खातेदारी रकबा पूर्ण होने के उपरांत अधिक रकबा 50 बीघा खाता संख्या 01 में कायम हो चुकी है,जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1810/4 कायम हुए हैं।

चूंकि वकील प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/5 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम खसरा संख्या 04 रकबा 104–15 बीघा में से 64–15 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या 38 ग्राम मण्डापुरा द्वारा सहायक भू–प्रबंध अधिकारी जोधपुर के प्रकरण संख्या 461/73 निर्णय दिनांक 03.06.1974 के आधार पर बिला कब्जा मुमकिन भूमि जीवाराम,छोगाराम पिसरान नाथाराम कौम भाट के नाम दर्ज हुई, जो बाद बेचान नामान्तकरण संख्या 64,65 तथा 531 ग्राम मण्डापुरा द्वारा प्रतिवादीगण के पिता तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई।

पूर्व वर्णित न्यायालय हाजा में विचारित प्रकरण संख्या 302/91 निर्णय दिनांक 31.10.2007 की पालना में ग्राम मंण्डापुरा में नामान्तरकरण संख्या 1070 तथा 1071 दर्ज किये गये, जिसके कारण प्रतिवादीगण की क्रमशः 08–16 बीघा तथा 14–14 बीघा भूमि कुल रकबा 23–10 बीघा भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 2/1 ता 2/5 द्वारा जरिए विक्रय–पत्र उक्त वादग्रस्त भूमियां अर्जित की गई थी और प्रतिवादीगण उक्त भूमि के अभिलिखित खातेदार अभिधारी थे, परंतु राजस्व रेकर्ड में रकबा की अशुद्धि के कारण प्रकरण संख्या 302/91 के निर्णय की पालना में प्रतिवादीगण की खातेदारी समाप्त कर दी गई। चूंकि अभिलिखित खातेदारी को

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

समाप्त कर देने से प्रतिवादीगण को अपूरणीय क्षति हुई तथा उभय पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। हस्तगत प्रकरण में अभिलिखित खातेदार प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/5 की नामान्तरण संख्या 1070 तथा 1071 ग्राम मंण्डापुरा द्वारा 23–10 बीघा भूमि के खातेदारी विलोपित कर दी गई, जिसका कोई विधिसम्मत एवं ठोस आधार नहीं दर्शाया गया तथा उक्त गैर तरीके से विलोपित की गई खातेदारी को पुनः दर्ज किया जाना पक्षकारान के लिए न्यायसंगत हैं। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा भी प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो के अवलोकन हेतु निर्देशित किया गया हैं, में दस्तावेज निम्नानुसार हैं :–

(i) नकल आदेशिका न्यायालय हाजा

(ii) नकल निर्णय न्यायालय हाजा दिनांक 27.01.2022

(iii) नकल फर्द मौका एवं नक्शा दिनांक 10.01.2022

उक्त दस्तावेजो के अमल दरामद से वादग्रस्त भूमि पर उत्पन्न प्रभावों का विवेचन निर्णय में पूर्व में किया गया हैं, जिससे प्रकरण में खसरा संख्या 04 में रेकर्ड तथा मौका स्थिति में एकरूपता स्थापित हुई हैं एवं उभय पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति समाप्त हो गई हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/5 की खातेदारी भूमि की प्रविष्टि को पुनः शुद्ध करते हुए वर्तमान खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.6464 हैक्टयर में से 23–10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/5 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित समझता हैं जिसको प्रतिवादीगण द्वारा अपने दस्तावेजात एवं साक्ष्यों के द्वारा भली–भांति साबित किया हैं, फलतः तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती हैं।

तनकी संख्या 05 :– आया प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 05 खसरा संख्या 1007/4 रकबा 26.10 बीघा का मूल खातेदार होने के उपरांत आदेश दिनांक 13.10.2007 की पालना में प्रविष्टि के आधार पर खातेदारी समाप्त कर वर्तमान खसरा संख्या 1810/4 रकबा 12.6464 हैक्टयर में दर्ज करने से पुनःखातेदारी प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 घोषित करवाने के अधिकारी हैं ?

(जिम्मे– प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6)

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 पर हैं। प्रतिवादी साक्ष्य में DW-04 गोगाराम के बयानात कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 –13 प्रदर्शित करवाए गए। प्रदर्श A 3 अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 के वालिद दुर्गा पुत्र खेता कौम राईका को खसरा संख्या 04 में से रकबा 26.10 बीघा भूमि आवंटन पदेन अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा के आदेश [illegible] 13/24.01.1979 को हुई थी। उक्त आवंटन के आधार पर दुर्गा [illegible] खातेदारी नामान्तकरण संख्या 173/20.02.1979 के द्वारा खसरा [illegible] कायम कर इन्द्राज हुई, जो कि प्रदर्श A 4 अवलोकन से स्पष्ट हैं, प्रदर्श A 5 अवलोकन [illegible] स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 311 के द्वारा दुर्गा पुत्र खेता को गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। दुर्गा के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 987/21.07.2008 के द्वारा खसरा संख्या 4/1 के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 1007/4 रकबा 26.10 बीघा दुर्गा के वारिसान के नाम इन्द्राज हुए,जो कि प्रदर्श–A 6 अवलोकन से स्पष्ट हैं। प्रदर्श–A 7–A 9 अवलोकन से स्पष्ट है कि दुर्गाराम की न्यायालय हाजा के मुकदमा संख्या 302/1991 निर्णय दिनांक 31.10.2007 की पालना में नामान्तकरण संख्या 1071 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 की खातेदारी खसरा संख्या 1007/4 रकबा 26.10 बीघा व प्रतिवादी हेमाराम व मांगीलाल पिसरान दानाराम का खसरा संख्या 1008/4 रकबा 14.14 बीघा कुल रकबा 41.04 बीघा भूमि खातेदारी समाप्त कर वादीगण के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के हक–हकूक के साथ कुठाराघात हुआ हैं,क्योंकि द्वितीय–सेटलमेंट के वक्त हुए वादीगण की खातेदारी रकबा सही दर्ज नहीं किए जाने की त्रुटि के कारण यह विवाद की स्थिति पैदा हुई,जबकि वादग्रस्त खसरा संख्या 04 का रकबा 104.15 बीघा था, मौके पर रकबा 154.15 बीघा अवस्थिति थी,जिसमें 50 बीघा भूमि अधिक थी,लेकिन राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में खाता संख्या 01 में इन्द्राज नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यदि तत्समय रिकॉर्ड संधारित करते हुए वादीगण की खातेदारी खसरा संख्या 04 रकबा 104.15 बीघा कायम होकर शेष रकबा 50 बीघा खाता संख्या 01 में कायम किया होता तो हस्तगत प्रकरण इतने वर्षो तक चलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता,लेकिन तत्कालीन राजस्व अधिकारियों की त्रुटि के कारण पक्षकार के बीच इतने वर्षो तक विवाद चला,जबकि हस्तगत प्रकरण की विवादित आराजी का रेकर्ड दुरस्ती प्रकरण आदेश दिनांक 27.01.2022 का निस्तारण होने से रेकर्ड दुरूस्त होकर अधिक रकबा 50 बीघा खाता संख्या 01 में दर्ज होकर खसरा संख्या 1814/4 कायम हुआ। रेकर्ड दुरस्ती होने से वादीगण का रेकर्ड व मौका स्थिति में एकरूपता हो गई तथा प्रतिवादी का कब्जा–काश्त संख्या संख्या 1814/4 में होने के कारण प्रतिवादी अपनी खातेदारी घोषित करवाने के हकदार हैं। प्रतिवादी पक्ष के वकील द्वारा जिरह की गई,जिसमें स्वीकार हुआ कि पक्षकार का अपने–अपने कब्जा मुताबिक मौके पर काबिज हैं तथा यह भी स्वीकार हुआ है कि प्रतिवादी पक्ष का कब्जा खसरा संख्या 1814/04 में ही है, जो कि प्रतिवादी अपनी खातेदारी को पूर्व की भांति यथावत करवाने के हकदार हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि तत्समय भू–प्रबंध विभाग की गलती के कारण वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद चला। वादीगण की खातेदारी कम दर्ज किए जाने के कारण वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि की रकबा पूर्ति के लिए वाद पेश किया गया,जिसमें समग्र रिकॉर्ड एंव मौका स्थिति के बिना ही प्रतिवादी की आवंटन शुदा भूमि की खातेदारी समाप्त करते हुए वादीगण की खातेदारी भूमि पूरी की गई,जो कि प्रतिवादी के हको के साथ कुठाराघात किया गया है,क्योंकि प्रतिवादी को विधि नियमों के तहत आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार भूमि आवंटन की गई थी तथा उक्त आवंटन के आधार पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ था तथा किसी भी पक्षकार की अर्जित खातेदारी को बिना किसी ठोस आधार के समाप्त कर देना उस पक्षकार के साथ घोर अन्याय हैं। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रदत निर्णय के अनुसरण में प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के संलग्न दस्तावेजो का हस्तगत प्रकरण में प्रभाव का वर्णन तनकी संख्या 04 के विवेचन में किया जा चुका हैं,चूंकि वर्तमान के प्रकरण में रिकॉर्ड दुरूस्ती होने के कारण पक्षकार के मध्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

विवाद की स्थिति समाप्त हो चुकी है तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से भी साबित करने में सफल रहे है कि उनकी खातेदारी गैर तरीके से विलोपित की गई है। प्रतिवादी अपनी खातेदारी पूर्व की भांति रिकॉर्ड में बहाल करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी पक्ष अपने साक्ष्य से उक्त तनकी को साबित करने में सफल रहें हैं।

तनकी संख्या 03—अन्य दादरसी ? उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

अनुतोषः—उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण वाद—पत्र में कायम तनकी संख्या 01 को साबित करने में बखूखी सफल रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 एवं प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 अपने—अपने पक्ष में कायम तनकीयात को साबित करने में सफल रहे है। अतः वादीगण के वाद—पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 एवं प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाता है वादीगण की राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी पूर्व की भांति यथावत रखी जाती है तथा ग्राम मंडापुरा वर्तमान ग्राम सिन्धियों की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1810/04 रकबा 12.6464 हैक्टयर भूमि में 23.10 बीघा प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 के एवं 26.10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वांछित अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा सारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल—दरामद किया जाना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हों। पक्षकारान अपना—अपना व्यय वहन करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 05/2024 (पुराने वाद संख्या 302/1991)

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/07

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.चौथाराम पुत्र दुर्गाराम के वारिसान 1/1.ताराराम पुत्र चौथाराम 2.लालाराम पुत्र दुर्गाराम के वारिसान 2/1.भुरी बेवा लालाराम 2/2.दानाराम पुत्र लालाराम 2/3.हेमाराम पुत्र लालाराम 2/4.नेमाराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.दाना पुत्र रूपाराम के वारिसान 2/1.हेमाराम पुत्र दानाराम 2/2.मांगीलाल पुत्र दानाराम 2/3.केसी पुत्री दानाराम 2/4.कालु पुत्र दानाराम 2/5.बलु पुत्री दानाराम 3.प्रताप पुत्र फौजा 4.थाना पुत्र फौजा जाति भाट निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा 5.दुर्गाराम वल्द खेताराम के वारिसान 5/1.गोगाराम पुत्र दुर्गाराम 5/2.रावताराम पुत्र दुर्गाराम 5/3.लखमाराम पुत्र दुर्गाराम 5/4.पदमाराम पुत्र दुर्गाराम 5/5.भोपाराम पुत्र दुर्गाराम 5/6.धुड़ी देवी बेवा दुर्गाराम जाति रबारी निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद बाबतः–88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 05/2024 (पुराने वाद संख्या 302/1991)

निर्णय दिनांक :– 04.09.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादीगण की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से श्री जूंजाराम पटेल की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 03 व 04 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 04.9.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 एवं प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाता है वादीगण की राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी पूर्व की भांति यथावत रखी जाती है तथा ग्राम मंडापुरा वर्तमान ग्राम सिन्धियों की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1810/04 रकबा 12.6464 हैक्टयर भूमि में 23.10 बीघा प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 के एवं 26.10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/6 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वांछित अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा सारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करे।

यह आज तारीख 04.09.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	–	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.[illegible] की फीस	———
जोड़		जोड़	———

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा